यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

न0 24/19 तारीखरजू:- 16-5-19

उनवान:- जनमेद बनाम छोटू वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

नांक	फर्द अहकाम	
5-19	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री दिलावर सिंह एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के तहत पेश किया है। अवलोकन किया गया। अवलोकन मे पाया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 30.05.2019 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	1678-83 16/5/19
30.5.19	प्रार्थी वकील उप0। अप्रार्थी नं. 1 की ओरसे श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने मेमो पेश कर वकालतनामा आगामी सुनवाई तिथी पर पेश करने का समय चाहा। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त नहीं है वकालतनामा पेश करने व बइन्तजार तामील दिनांक 10.6.19 को पेश हो।	
10.6.19	प्रार्थी वकील उप0। अप्रार्थी नं. 1 की ओरसे श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी नं. 2,3,4, ने नोटिस प्राप्त करने से इन्कार किया है अप्रार्थी नं. 5,6 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है अतः अप्रार्थी नं. 2,3,4,5,6 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है जबाब पेश करने दि0 21.6.19 को पेश हो।	
21.6.19	वकलाय उप0। अप्रार्थी नं. 1 का जबाब पेश करने दिनांक 17.7.19 को पेश हो। पुनश्च: वकील उभय पक्ष ने सीधे बहस करने का कथन किया। वकील उभयपक्ष ने उभय	

Scanned by CamScanner

उपजिला कलक्टर टोडाभीम जिला क

दिनांक	फर्द अहकाम
	पक्षकारान को दावा के फैसला होने तक यथास्थिति बनाये रखने हेतु कथन कर सहमति दी। वकील अन्य पक्ष की सहमति से प्रार्थीयान एवं अप्रार्थीयान को दावा के फैसला होने तक अंतरिम अस्थाई निषे से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम सालिमपुर की भूमि खसरा नम्बर 646 रकबा 1.10 है०, 646/855 रकबा 0.01 है० कुल किता 2 कुल रकबा 1.11 है० पर रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।
	उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner